प्रेषक,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0,लखनऊ।

सेवा में,

1— समस्त अपर निदेशक ग्रेड—2, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
2— समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी (वाराणसी,मिर्जापुर भदोही को छोड़कर) उ0प्र0।

संख्याः /सामान्य—1/एफ0एम0डी0—सी0पी0/2017—18 दिनांकः

विषयः— <u>एफ0एम0डी0—सी0पी0 21वां चरण के अन्तर्गत टीकाकरण कार्यक्रम के बाधित होने के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

जैसाकि आपको विदित है कि भारत सरकार से वित्त पोषित एफ0एम0डी0—सी0पी0 21वें चरण का टीकाकरण कार्यक्रम दिनांक 16—9—2017 से प्रारम्भ होकर दिनांक 30—10—2017 तक संचालित होना था, जिसमें 04 करोड़ 76 लाख पशुओ का टीकाकरण किया जाना था, जिसके लिये मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किये गये है तथा विभाग द्वारा भी कार्यक्रम के संचालन हेतु आवश्यक दिशा—निर्देश दे दिये गये थे एवं समस्त जनपदों को सभी मानक मदों में पर्याप्त बजट एवं वैक्सीन उपलब्ध करा दी गयी। इसके उपरांत भी अधिकांश जनपदों से वाट्सऐप एवं पत्रों के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि उ0प्र0 पशु चिकित्सा संघ के आवाह्न पर जनपदों में पशु चिकित्साधिकारियों एवं उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों द्वारा टीकाकरण नहीं किया जा रहा है।

कृपया पत्र प्राप्ति के 03 घंटे के अन्दर यह अवगत कराये कि एफ0एम0डी0—सी0पी0 टीकाकरण कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु सम्बन्धित मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियों से सम्पर्क कर प्रकरण में आपके स्तर से क्या कार्यवाही की गयी। अन्यथा की स्थिति में यह समझा जायेगा कि उक्त राष्ट्रीय महत्ता एवं जनहित कार्यक्रम को बाधित करने में आपकी भी सहभागिता/संलिप्तता है।

भवदीय,

(डा0 चरण सिंह यादव)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।

संख्या 555 /सामान्य—1/एफ0एम0डी0—सी0पी0/2017—18 दिनांकः 18-09-2017

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3— प्रमुख सचिव पशुधन, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
4— निजी सचिव मा0पशुधन मंत्री जी, उ0प्र0सरकार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मा0 मंत्री जी के संज्ञान में लाने का कष्ट करें।

(डा0 चरण सिंह यादव)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।